

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

**:: आदेश ::**

प्रशासन गांधी के संग अदिवाच-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शाणा व भू अभिलेख निरीक्षक जा.म.ग.६ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निलवा पटवार हल्का श्री.०.११ तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् १९७२-७५ में खाता संख्या ३२ में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
	<u>निलवा</u>	<u>32</u>	<u>शिवराज सिंह पि. बूरसिंह</u>	<u>शिवसिंह पुष्पशिवराज सिंह पि. बूरसिंह</u>

**प्रमारी अधिकारी**  
**उपखण्ड अधिकारी**  
**करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा**

दिनांक:- 16/12/2021

क्रमांक:- न्यायालय / 2021 / 14

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

**उपखण्ड अधिकारी**  
**करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा**

